जनपद-संतकबीरनगर **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनांक 30-07-2019**

संतकबीरनगर पुलिस के हत्थे चढ़ा अवैध असलहे के साथ जिलाबदर अपराधी

गिरफ्तार अभियुक्तः-

मेराज अहमद पुत्र मो0 हारुन निवासी छितही थाना महुली जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगीः-

1-एक अदद अवैध कट्टा 312 बोर।

2- एक अदद जिंदा कारतूस 312 बोर।

पंजीकृत अभियोगः-

1- मु0अ0सं0 255 / 19 धारा 10 उत्तर प्रदेश गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम थाना महुली जनपद संतकबीरनगर।

2- मु0अ0सं0 256 / 19 धारा 3 / 25 शस्त्र अधिनियम थाना महुली जनपद संतकबीरनगर।

संक्षिप्त विवरणः-

जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान मे पुरस्कार घोषित / वांछित / जिलाबदर अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक जनपद संकतबीरनगर श्री ब्रजेश सिंह द्वारा समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्षों को निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम मे थाना महुली पुलिस द्वारा जिलाबदर अभियुक्त मेराज अहमद पुत्र मो0 हारुन निवासी छितही थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को मुखबिर की सूचना पर छितही महुली मोड़ के पास से 01 एक अवैध कट्टा व 01 अदद जिंदा कारतूस के साथ आज दिनांक 30.07.2019 को समय 05.40 बजे गिरफ्तार कर लिया गया।

उल्लेखनीय है कि उक्त अभियुक्त को जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिनांक 10.05.2019 को जिलाबदर घोषित किया गया था जो कि आदेश का उल्लंघन करते हुए अपने घर पर आता जाता रहता था। जिसे थाना महुली पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः-

1-उ0नि0 श्री जितेन्द्र कुमार सिंह।

2-उ0नि0 श्री रामप्रवेश यादव।

3-हे0का0 वीरेन्द्र चौधरी।